भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3707
(11 अगस्त, को उत्तर दिए जाने के लिए)

अहिल्यानगर जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम

3707. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पीएमएवाई और पीएम-कुसुम जैसी संयुक्त केंद्र-राज्य योजनाओं में केंद्र सरकार के नाम और लोगो (प्रतीक चिन्ह) का उपयोग करना अनिवार्य है;

(ख) क्या सरकार को अहिल्यानगर जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित न करने संबंधी कथित उल्लंघन की जानकारी है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन योजनाओं को विशुद्ध रूप से राज्य की योजनाओं के रूप में प्रचारित करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार के श्रेय को छिपाने के दोषी पाए गए अधिकारियों की जवाबदेही तय किए जाने की संभावना है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई नए दिशा-निर्देश जारी किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अखिल भारतीय स्वरूप को बनाए रखने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें यह प्रावधान है कि सीएसएस की मूल विशेषताएं अपरिवर्तनीय हैं; यथा नाम, लोगो आदि योजना की मूल विशेषताओं में शामिल हैं।

व्यय विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण** (**पीएमएवाई-जी**) के कार्यान्वयन में किया जाता है। **प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी** (**पीएमएवाई-यू**) और पुनर्गठित **पीएमएवाई-यू 2.0** योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार भी, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह अनिवार्य है कि वे योजना के अंतर्गत निर्मित सभी आवासों पर पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 का लोगो तथा लाभार्थी का विवरण प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (**पीएम-कुसुम**) योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इसका कार्यान्वयन राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों की जिम्मेदारी है और उनके लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे संभावित लाभार्थियों के बीच विज्ञापनों के माध्यम से योजना का प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता सुनिश्चित करें।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पीएमएवाई-जी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित न करने से संबंधित कोई उल्लंघन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 22 फरवरी, 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहिल्यानगर जिले में आयोजित जिला-स्तरीय कार्यक्रम के दौरान, अहिल्यानगर जिले के दोनों माननीय संसद सदस्यों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था और वे इस अवसर पर उपस्थित थे।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन योजनाओं को विशुद्ध रूप से राज्य योजनाओं के रूप में प्रचारित किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) एकरूपता एवं पहचान में सुगमता सुनिश्चित करने हेतु, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निर्मित **पीएमएवाई-जी** आवासों की दीवारों पर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं: पीएमएवाई-जी का आधिकारिक लोगो; लाभार्थी का नाम; पिता/पति का नाम; श्रेणी; स्वीकृति वर्ष; गांव/ब्लॉक/जिले का नाम; तथा व्यय की गई राशि (क) प्राप्त सहायता, (ख) स्वयं के संसाधन, (ग) कुल।

इसके अलावा, **पीएमएवाई-यू** और **पीएमएवाई-यू 2.0** के अंतर्गत योजना दिशानिर्देशों में विशेषत: स्थानीय भाषा में लाभार्थी विवरण प्रदर्शित या अंकित करने के साथ-साथ पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0लोगो प्रदर्शित करना भी अनिवार्य है। विनिर्देशों में योजनाओं के तहत निर्मित सभी आवास इकाइयों के सामने प्रमुखता से लोगो प्रदर्शित करना शामिल है। ब्रांडिंग लाभार्थियों के चयन में खुलेपन और पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है और इसमें सामाजिक लेखा परीक्षा के गुण अंतर्निहित हैं।
